कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्याः 1581 / कोटेशन–शर्ते / 2018 दिनांक 27 नवम्बर 2018

कोटेशन / शर्ते / प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या – 3271 / एक–10– 2018– 12(34) / 03टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10दिनांक 19नवम्बर 2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद अम्बेडकरनगर में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्बल, निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को ठण्ड एवं शीतलहरी से बचाव हेतु निःशुल्क कम्बल वितरण किये जाने के लिए कम्बल कय किये जाने हेतु कम्बल के सेम्पल की मांग की जाती है।

शासनादेशानुसार कम्बल कय किये जाने की शर्ते निम्नवत हैः–

01. उ0प्र0राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0निर्यात निगम) के माध्यम में लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की कय अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– 8 / 2016 / 548 / 18–2–2016–12 (एस0पी0) / 2010, दिनांक 12 अगस्त 2016 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल आदि का कय सुनिश्चित किया जायेगा।
02. कय किये जाने वाले कम्बलों का मूल्य रू0 500 से अधिक न हो तथा मानक लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौड़ाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
03. आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो विकी के लिए नहीं है।
04. आपूर्ति होने के बाद आपूर्ति के कम्बलों में से रेण्डम सेम्पल लेकर जांच भी करायी जायेगी एवं कोटेशन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र में भिन्नता होने की दशा में उसी अनुपात में धनराशि कटौती की जायेगी।
05. आपूर्तित संस्था को कम्बलों में 70 (सत्तर) प्रतिशत ऊन होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
06. कोटेशन में उपलब्ध कराये गये कम्बलों की दरें अधिक प्रतीत होने पर निगोशिएशन की कार्यवाही न्यूनतम दर दाता वाले संस्था से किया जायेगा।
07. वांछित कम्बल आदेश प्राप्त होने के बाद आपूर्तित संस्था को प्रत्येक दशा में 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।
08. कम्बल पहुंचाने आदि के व्यय प्रबन्धक द्वारा स्वयं वहन किये जायेगे।
09. मानक के अनुसार एवं समय से कम्बल उपलब्ध न करा पाने की दशा में दिया गया आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा और किसी भी क्षति आदि के लिए प्रबन्धक / आपूर्तित संस्था स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. कोटेशन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा।
11. बिल का भुगतान आपूर्ति होने के बाद शर्तो के पूर्ण पाये जाने पर ही किया जायेगा।
12. कम्बलों के नमूने एवं कोटेशन मय गुणवत्ता प्रमाण–पत्र कार्यालय दिवस में दिनाक 05.12.2018 को सायं 05.00 बजे तक स्वीकार किये जायेगे। नियत तिथि के बाद उपलब्ध कराये गये कोटेशन / कम्बलों के नमूनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
13. कोटेशन की शर्ते व नियम जनपद अम्बेडकरनगर की वेवसाइट ambedkarnagar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोटेशन को कम से कम स्थान में सामान्य टाइप में निःशुल्क प्रदेश स्तरीय संस्करण में किन्ही दो मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (nic) को इस आशय से कि जनपद अम्बेडकरनगर के पोर्टल / वेवसाइट पर भी अपलोड करें।
4. शासनादेश में उल्लिखित समस्त केता ऐजेन्सियों को सूचनार्थ।
5. एक प्रति नायब नाजिर सदर को कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

27/11/18

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकरनगर।